न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 35/2014

1. श्रीमती पूनम कंवर पत्नी स्व0 श्री भोमसिंह आयु 45 वर्ष जाति मेहरात
2. शिल्पा पुत्री स्व0 श्री भोमसिंह आयु 23 वर्ष जाति मेहरात
   निवासीयान ग्राम फतेहगढ, पीपलाज (रूपारेल), तहसील मसूदा जिला अजमेर। —— **वादीगण**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय ब्यावर।
—— **प्रतिवादी**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

:— निर्णय :— दिनांक 23.05.2016

प्रार्थियागण ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम फतेहगढ पटवार क्षेत्र पीपलाज तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित अराजी न0 109 रकबा 01—08—10 व 131 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 02—00—10 उनकी पुश्तैनी अराजी है जिसकी विरासत में राजस्व कर्मियों द्वारा प्रार्थियागण का नाम पूनम कंवर पत्नी भोमसिंह के स्थान पर आनंद देवी पत्नी भोमसिंह व शिल्पा पुत्री भोमसिंह के स्थान पर मीरा पुत्री भोमसिंह कर दिया गया है। अतः प्रार्थियागण के नाम की राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाई जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी पैरोकार ने निवेदन किया कि अभिलेख अनुसार प्रार्थीगण की जाति चीता है जबकि जाति मेहरात से आवेदन किया है और जाति दुरूस्ती नहीं चाही है। प्रार्थिया शिल्पा का नाम मीरा है जिसके नाबालिग से बालिग होने पर मीरा नाम से नामान्तकरण सं0 83 दिनांक 25.08.2014 दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प पीपलाज पर पेश होने पर प्रार्थीगण के वकील एवं पैरोकार अप्रार्थी उपस्थित आये। वकील प्रार्थीगण का तर्क रहा कि उनके नाम में विरासत से तफावत की गई है जिसे दुरूस्त की जावे। वहीं पैरोकार अप्रार्थी के तर्क रहे कि वरवक्त विरासत एतराज किया जाना चाहिये था। अभिलेख में प्रार्थीगण की जाति चीता है जबकि जाति मेहरात से यह प्रार्थना पत्र लाये हैं। जो चलने योग्य नहीं है, खारिज किया जावे।

उभयपक्षान को सुनने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में ही विरासत से नाम गलत होने के कथन किये हैं तो उन्हें विरासती नामान्तकरण के विरूद्ध अपील करनी चाहिए थी। वर्तमान अभिलेख के सर्वथा विपरीत नाम दुरूस्ती का आवेदन किया है, लिपिकीय भूल अथवा सहवन की संज्ञा में नहीं आता। धारा 136 में ऐसे प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है। अभिलेख की वर्तमान स्थिति पर संभव नहीं है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थियागण स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता अतः सव्यय निरस्त किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.24 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested